जनपद न्यायालय, वाराणसी।

नीलामी आदेश

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि न्यायालय वाराणसी के विभिन्न न्यायालयों/कार्यालयों/विश्राम कक्षों के पुराने व खराब निष्प्रयोज्य सामग्रियों को जो नजारत परिसर में रखे हुये हैं, की नीलामी दिनांक 30.03.2026 को समय 12:00 बजे से सांय 4:00 बजे के बीच दीवानी न्यायालय, वाराणसी के मनोरंजन कक्ष में माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा गठित समिति के द्वारा किया जायेगा।

नीलाम की जाने वाली सामग्रियों का विवरण निम्न प्रकार से है।

क्रम सं0	विद्युत उपकरण का नाम	मात्रा	संस्था द्वारा प्रस्तुत दर प्रति	कुल दर
1	लोहे का छोटा रैक	02 अदद	20/कि0ग्रा0	
2	ऑफिस टेबल (लकड़ी)	03 अदद	02/कि0ग्रा0 + 20/कि0ग्रा0	
3	ऑफिस टेबल (लोहा)	02 अदद	16/कि0ग्रा0	
4	लोहे की कुर्सी	01 अदद	20/कि0ग्रा0	
5	लोहे की छोटी आलमारी	03 अदद	16/कि0ग्रा0	
6	लोहे की बड़ी आलमारी	16 अदद	16/कि0ग्रा0	—
7	रिवाल्विंग चेयर	01 अदद	300/अदद	—
8	बुक सेल्फ, लोहा	01 अदद	20/कि0ग्रा0	—
9	लोहे का बड़ा रैक	02 अदद	20/कि0ग्रा0	—
10	स्ट्रीट लाईट (फ्रेम, पाईप सहित)	01 अदद	25/कि0ग्रा0	—
11	सर्वर कक्ष में लगा स्प्लिट ए0सी0	03 अदद	2500/अदद	—
12	पुरानी साइक्लो स्टाइल मशीन	01 अदद	26/कि0ग्रा0	—
13	फोटोस्टेट मशीन	03 अदद	800/अदद	—
14	पुराना स्टैबलाइजर	05 अदद	250/अदद	—
15	पानी की टंकी	06 अदद	10/कि0ग्रा0	—
16	लोहे का कूलर	01 अदद	300/अदद	—
17	स्टील बेंच	03 नग	50/कि0ग्रा0	—
18	टी–5	20 नग	30/ अदद	—
19	ट्यूबलाईट	193 नग	निल	—
20	चोक	35 नग	निल	*30/अदद*
21	एल0ई0डी0 बल्ब, छोटा	50 नग	निल	*5/अदद*
22	एल0ई0डी0 बल्ब, बड़ा	40 नग	निल	*7/अदद*
23	कंडेंसर	40 नग	निल	*2/अदद*
24	रेगुलेटर	05 नग	निल	*20/अदद*
25	घण्टी	06 नग	निल	*10/अदद*
26	लोहा फ्रेम	12 नग	30/कि0ग्रा0	—
27	वाहन से निकली सामग्रियॉ	01 कार्टून	100/कार्टून	
28	मोटी लकड़ी का टूकड़ा	02 नग	02/कि0ग्रा0	—

नीलामी में भाग लेने के इच्छुक व्यक्ति नियमों एवं शर्तों की जानकारी दीवानी न्यायालय, वाराणसी के नोटिस बोर्ड अथवा नजारत कार्यालय से प्राप्त कर सकते है।

भरे हुए फार्म दिनांक 25.03.2026 तक नजारत कार्यालय में सायं 05:00 बजे तक अनिवार्य रूप से प्राप्त करा दिये जाये। इसके पश्चात कोई आवेदन स्वीकार नही किया जायेगा।

किसी भी बोली को स्वीकृत करने या अस्वीकृत करने का अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को होगा।

इस नोटिस को वाराणसी जिले के किसी एक स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित कराया जाय, नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जाये एवं इसकी सूचना न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर भी अपलोड की जाये।

24/2/20

(देवकान्त शुक्ला)
अध्यक्ष–नीलामी समिति,
जनपद न्यायालय, वाराणसी

<u>प्रतिलिपि प्रेषितः–</u>

1. प्रति माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
2. प्रति कम्प्यूटर अनुभाग को न्यायालय के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
3. प्रति आयुक्त, वाराणसी के नोटिस बोर्ड पर लगाये जाने हेतु।
4. प्रति जिलाधिकारी, वाराणसी के नोटिस बोर्ड पर लगाये जाने हेतु।
5. प्रति स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु।

24/2/20

(देवकान्त शुक्ला)
अध्यक्ष–नीलामी समिति,
जनपद न्यायालय, वाराणसी